दिनांक **11-04-2017** को आयोजित वाणिज्य–कर विभाग, बिहार सरकार के आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी,भा.प्र.से. के साथ बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा समर्पित ज्ञापन

आजादी के पश्चात् देश के सबसे बड़े Tax Reform – GST की ओर हमारा देश अग्रसर है और इसके 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की पूरी–पूरी संभावना है।GST से संबंधित चार bills-CGST, IGST, UTGST and Compensation to States संसद के दोनो सदनों से पारित हो चुके हैं और साथ ही GST की शीर्ष संस्था GST Council ने राज्यान्तगर्त आनेवाले SGST एवं GST से संबंधित विभिन्न rules को Approve कर दिया है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हमेशा से ही GST का समर्थन करता रहा है और इस दिशा में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में भी अग्रसर रहा है। इसी क्रम में चैम्बर ने कई उपयोगी कार्यशालाओं का आयोजन किया है तथा ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे।

आज जब हम विभिन्न केन्द्रीय करों एवं राज्याधीन करों से निकलकर देशभर में समान रूप से लागू होनेवाले एक कर व्यवस्था GST में प्रवेश कर रहें हैं ऐसे समय में यह नितान्त आवश्यक है कि इस transitional phase को बड़े ही सुगमता से निकाला जाये ताकि कम से कम असुविधाओं का सामना करना पड़े और इस हेतु हमारे निम्न सुझाव हैं:–

1 अधिकांश लोगों को अभी तक GST के बारे में पर्याप्त जानकारी नही है। अतः तमाम व्यवसायियों एवं उद्योग जगत से जुड़े लोगों को GST के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है और इस हेतु हमारा विभाग से अनुरोध होगा कि trade wise वाणिज्य–कर सर्किल के स्तर पर एवं वृहत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम कम से कम सप्ताह में एक बार आयोजित कराये जाने की आवश्कता है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय हाथ में रह गया है।

2 सामान्य व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए GST पर हिन्दी/अंग्रेजी में बुकलेट तैयार करायी जानी चाहिए तथा इसका वितरण सुलभ रूप से सभी संबंधित लोगों को हो पाये इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा व्यवसायियों की सुविधा के लिए GST के लिए एक विशेष Help Line की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3 GST की ओर पहले कदम में वर्तमान में निबंधित dealers का GST में migration किया जानाहै। यह प्रक्रिया हमारे राज्य में 15 नवंबर, 2016 से चालू है परन्तु तमाम प्रयासों के बावजुद अभी भी हमारे प्रांत के काफी dealers GST के migration process को पूरा करने में समर्थ नही हो पाये हैं। ऐसे dealers को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

Øe'k----------2

(क) वैसे dealers जिन्होंने सर्किल स्तर पर विभाग के data base में आवश्यक संशोधन करवाकर अपना PAN Validate करा लिया है परन्तु उन्हें अभी तक GST का Provisional ID pop-up प्राप्त नही हुआ है। ऐसे कुछ dealers की सूची आपके ध्यानार्थ समर्पित की जा रही है।हमारा आग्रह होगा कि ऐसे सभी dealers के लिए GSTN से यथाशीघ्र कारवाई कर provisional ID उपलब्ध करवा दिया जाये।

हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि petroleum products में deal करने वाले अधिकांश व्यवसायियों का pop-up अभी तक नही आया है।

(ख) वैसे dealers जिनका वर्तमान वार्षिक टर्नओभर GST के threshold limit से कम है, उनके सदर्भ में हमारा मानना है कि ऐसे dealers यह मान चुके हैं कि उन्हें GST में migration करने की आवश्यकता नही है। जबकि GST के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में निबंधित सभी dealers को एक बार GST में migrate करना आवश्यक है।इस हेतु हमारा विभाग से अनुरोध होगा कि ऐसे dealers को उनके email ID पर मेल के द्वारा तथा मोबाईल पर SMS के द्वारा सूचना दी जानी चाहिए साथ ही इस तथ्य की पूर्ण जानकारी अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से भी दी जानी चाहिए।

4 जैसा कि हमने पूर्व में भी आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि चूँकि GST 1 जुलाई, 2017 से लागू होने जा रहा है ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रथम तिमाही को वित्तीय वर्ष 2016–17 के साथ जोड़कर सभी वैधानिक कारवाई यथा समीक्षा, कर निर्धारण इत्यादि consolidated रूप में एक साथ की जाती है तो व्यवसायियों को मात्र तीन महीने के लिए की जाने वाली अतिरिक्त कारवाई से मुक्ति मिलेगी। हमारा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की कृपा करें।

5 GST लागू होने के उपरान्त बिहार वैट एक्ट अप्रासंगिक हो जायेगा, अतः हमारा सुझाव होगा कि पूर्व के सभी वर्षो के लिए लम्बित कार्यवाही यथा समीक्षा, कर निर्धारण, आकलन इत्यादि का शीघ्रताशीघ्र निपटारा करवाने की व्यवस्था की जाये।

ऐसा देखा गया है कि Section-25 के अन्तगर्त की जानेवाली समीक्षा हेतु निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी नोटिस निर्गत की जाती है। हमारा सुझाव होगा कि इस संबंध में उचित दिशा–निर्देश जारी कराया जाये तथा समय सीमा बीत जाने के बाद लंबित मामलों हेतु संबंधित अधिकारी को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए ।

6 विभाग के न्यायिक स्तर पर लंबित वैट से जुड़े सभी मामलों का भी निष्पादन यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए ।

7 वैधानिक प्रपत्र C and F के लिए दिये जाने वाले आवेदन को सकारात्मक रूप से निर्णय लेते हुए उन्हें निर्गत किया जाना चाहिए । विदित हो कि GST में वैट अन्तगर्त किये जाने वाले दावों की स्वीकृति हेतु सभी प्रपत्रों को 6 माह के भीतर दाखिल करना आवश्यक है ।

8 हमारे बार–बार अनुरोध किये जाने के बावजुद सर्किल कार्यालयों में dealer द्वारा जमा किये गये documents, पत्र आदि की प्राप्ति रसीद सामन्यतः नही मिल पाती है आग्रह है कि इसके अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने की कृपा की जाये ।

iVuk
11 vihy] 2017

****